

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं० सं०-17/एफ 1-07/2021-

पटना, दिनांक :- / /2025

राज्य अन्तर्गत संचालित सरकारी फार्मसी सस्थानो/महाविद्यालयों में सृजित शैक्षणिक पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि सहायक प्राध्यापकों (Guest Faculty) को देय मानदेय में निम्नरूपेण वृद्धि की जाती है -

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान मानदेय प्रति घंटी	वर्तमान में प्रतिमाह अधिकतम मानदेय	पुनरीक्षित मानदेय प्रति घंटी	पुनरीक्षित प्रतिमाह अधिकतम देय मानदेय
1	अतिथि सहायक प्राध्यापक (Guest Faculty)	1000/-रुपये	35000/-रुपये	1500/-रुपये	50000/-रुपये

2. उपरोक्त देय पुनरीक्षित मानदेय अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से लागू होगा ।

3 प्रस्ताव में मन्त्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सं० सं०-17/एफ 1-07/2021- 133(17)

पटना, दिनांक :- 05/02/2025

प्रतिलिपि :- ई-गजट कोषाग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एव ह०), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मन्त्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-04/02/2025 के मद संख्या-25 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- प्राचार्य, सभी फार्मसी संस्थान/महाविद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, राजकीय फार्मसी संस्थान/ महाविद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 07, 08 एवं 10 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

Reenu Kumari
विशेष कार्य पदाधिकारी ।